<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर</u>

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.

पत्रावली संख्या : 94 / 23 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2023 / 225

1. श्री गोपालकृष्ण पिता राजमल विजयवर्गीय निवासी मावली तह. मावली।

................प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती दुर्गा पत्नी सुरेश सोनी निवासी माताजी की गली वल्लभनगर तह. वल्लभनगर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)

................विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री जितेन्द्र कुमार लक्षकार, अधिवक्ता प्रार्थी।

2. श्री दुर्गाशंकर मेनारिया, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 10.12.2024

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा कालाखेत पटवार हल्का मावली की आराजी नम्बर 3503, 4722 / 3976 किता 2 कुल रकबा 1.4568 हेक्टेयर उपरोक्त आराजीयात प्रार्थी के नाम से राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में एकल स्वामित्व एवं आधिपत्य से दर्ज हैं।
2. यह कि प्रार्थी की उपरोक्त आराजीयात के दक्षिण दिशा की सरहद की ओर आराजी संख्या 4703 / 3504 रकबा 0.3237 हेक्टेयर कृषि भूमि स्थित है जो विपक्षी सं. 1 की खातेदारी कृषि भूमि हैं।
3. यह कि विपक्षी सं. 1 ने मौके पर प्रार्थी की दक्षिण दिशा की सरहद की ओर बिना प्रार्थी को जानकारी दिये प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि के भीतर तारबन्दी करवा दी है जिससे मौके पर दक्षिण दिशा की सरहद को लेकर आये दिन विवाद हो रहा है, विपक्षी आए दिन बाढ आगे कर प्रार्थी की सरहद की ओर बढा रहे है, जिससे प्रार्थी को काफी परेशानी व अपनी सरहद की असुरक्षा हो रही है, प्रार्थी अपनी सीमाओं पर बाढ बन्दी, पत्थरगढी नहीं करवा पा रहा है विपक्षी सं. 1 ने दक्षिण दिशा में प्रार्थी की बाढ गिराकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:41:47 IST
Reason: SelfAttested

मौके पर बिना पत्थरगढी करवाये तारबन्दी करवा दी है जिससे भी विवाद ओर बढ गया हैं।

4. यह कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि उपरोक्त आराजीयात दक्षिण दिशा की सरहद की पत्थरगढी किया जाना न्यायाहित में नितान्त आवश्यक है। प्रार्थी खातेदारी राजस्व रेकार्ड के अनुसार पत्थरगढी कराने का भी अधिकारी हैं जिससे मौके पर किसी प्रकार कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो किसी प्रकार का कोई लडाई झगडा नहीं हो प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी हो जाने पर प्रार्थी सरहद पर दीवारे बनवाये ताकि उसे आर्थिक नुकसान भी नहीं हो।
5. यह कि प्रार्थी का उक्त मामला प्राईमाफैसी केस है। प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि की पत्थरगढी करवाना चाहता है जिससे किसी भी अन्य पक्षकारान को कोई क्षति होने की संभावना नहीं है। पत्थरगढी नहीं होने से प्रार्थी को जो अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयो पैसों में नहीं किया जा सकता है। सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में हैं।
6. यह कि प्रार्थी को प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 20.05.2023 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी एवं उसके पति सुरेश को पत्थरगढी कराने के लिए कहा तो मौके पर सीमा विवाद करने लगे और कहने लगे जहां तारबन्दी कर दी है वो ही हमारी सरहद है तभी से प्रार्थना पत्र कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।
7. अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की आराजी नम्बर 3503, 4722/3976 की दक्षिण दिशा की सरहद की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जाने की महत्ती कृपा करें।
8. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि मुझ विपक्षीया द्वारा उक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया और जिस स्थान पर विपक्षीया के पूर्वाधिकारी का कब्जा था उसी स्थान पर विपक्षीया को कब्जा सिपूर्द किया गया एवं मुझ विपक्षीया ने भूमि खरीद के बाद उसके चारो तरफ तारबन्दी करवा रखी है जिसे करीब 30 साल से ज्यादा का समय होने आया है। प्रार्थी इस पत्थरगढी की आड में विपक्षीया के खातेदारी एवं कब्जे की भूमि को जबरन हडपना चाहता हैं। मौके पर विपक्षीया की भूमि का अलग से सीमांकन किया हुआ होकर तारबन्दी की हुई है जिससे प्रार्थी पत्थरगढी कराने का अधिकारी नहीं है।
9. यह कि प्रार्थी पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र पर आदेश प्राप्त कर विपक्षीया के खातेदारी एवं कब्जे की भूमि को हडपना चाहता है जिसके लिए प्रार्थी का न तो कोई केस है ओर न ही सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Location:
Date: 2025.01.31 12:41:47 IST
Reason: SelfAttested

10. यह कि दिनांक 20.05.2023 को अथवा अन्य किसी दिनांक को मुझ विपक्षीया के विरूद्व किसी प्रकार की कोई बिनाय पैदा नहीं होती हैं।

11. विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी जिस आराजी को अपने खाते एवं कब्जे होने का कथन कर यह प्रार्थना पत्र लेकर आया है उस भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं होकर प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र की आड में जबरन कब्जा करना चाहता है। प्रार्थी बिना कब्जा, बिना हक अधिकार के पत्थरगढी कराने का अधिकारी नहीं हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

12. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का प्रार्थी तन्हा खातेदार हैं। तन्हा खातेदारी की भूमि की प्रार्थी को पत्थरगढी कराने का पूर्ण अधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि मुझ विपक्षीया द्वारा उक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। जिस स्थान पर विपक्षीया के पूर्वाधिकारियों का कब्जा था उस स्थान पर विपक्षीयां काबिज है। मुझ विपक्षीया ने जमीन क्रय करने के बाद चारो तरफ तारबन्दी करवा रखी है जिसे करीब 30 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया है। प्रार्थी पत्थरगढी की आड में जबरन कब्जा करना चाहता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

13. हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि मौजा कालाखेत पटवार हल्का मावली तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 41 पर दर्ज आराजी नम्बर 3503, 4722/3976 किता 2 रकबा 1.4568 हेक्टेयर भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार होकर प्रार्थी के नाम तन्हा खातेदारी अधिकार से दर्ज है। उक्त आराजीयात में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित नही है। विपक्षी सं. 1 का कथन है कि प्रार्थी उक्त पत्थरगढी की आड में विपक्षीया की भूमि पर कब्जा करना चाहता हैं। इस कथन के सम्बन्ध में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम के तहत् पेश किया गया हैं जिसमें केवल मात्र प्रार्थी की खातेदारी भूमि की सीमाजानकारी कर पत्थरगढी की जानी हैं। उक्त प्रकरण कब्जा प्राप्त करने से सम्बन्धित नहीं हैं। प्रार्थी जिस भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है उस भूमि का तन्हा खातेदार है। प्रार्थी को अपनी तन्हा खातेदारी भूमि की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। अतः उपरोक्त विवेचन के अ[illegible] प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:41:47 IST
Reason: SelfAttested

14. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/—रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा कालाखेत पटवार हल्का मावली तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 41 पर दर्ज आराजी नम्बर 3503, 4722/3976 किता 2 रकबा 1.4568 हेक्टेयर भूमि के दक्षिण दिशा का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी प्रार्थी एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में की जावे। फीस कमिश्नर प्रार्थी मौके पर अदा करें।
15. तहसीलदार मावली को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
16. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:41:47 IST
Reason: SelfAttested